Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

"ऑपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में हत्या करने के आरोपी शफीक उर्फ हड्डी, कदीम, समीर व तौफीक को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर प्रत्येक को हुई आजीवन कारावास व 48,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि अभियुक्तों 1-शफीक उर्फ हड्डी पुत्र इशाक, 2-कदीम, 3-समीर व 4-तौफीक पुत्रगण शफीक निवासी मौ0 पट्टी चौधरान कस्बा व थाना बड़ौत जनपद बागपत द्वारा वर्ष-2024 में वादी के भाई की हत्या करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0 257/2024 धारा 302/504/506/34 भादवि पंजीकृत हुआ था । इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 24.03.2026 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज प्रथम जनपद बागपत द्वारा अभियुक्तों शफीक उर्फ हड्डी, कदीम, समीर व तौफीक को दोषी पाते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास व 48,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

श्री अशोक सैनी एडीजीसी

है0का0 नीटू कुमार थाना बड़ौत

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

Baghpat Police | baghpatpolice | @baghpatpolice

Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

"ऑपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में गैंगस्टर अधिनियम में पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर आरोपी सावन को हुई 02 वर्ष 06 माह के कारावास व 5,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि अभियुक्त सावन पुत्र कृष्णपाल निवासी ग्राम शबगा थाना छपरौली जनपद बागपत (जनपद स्तर पर टॉप 10 अपराधी) के विरुद्ध थाना छपरौली पर मु0अ0सं0 79/2023 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया था तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 24.03.2026 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी द्वितीय जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त सावन को 02 वर्ष 06 माह के कारावास व 5,000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

श्री इन्द्रपाल एडीजीसी जनपद बागपत

का0 हरदीप कोर्ट पैरोकार

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

Baghpat Police | baghpatpolice | @baghpatpolice

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट दिनाँक-24.03.2026

थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 74/2026 धारा 103(1)/3(5)/238(a) बीएनएस से सम्बन्धित 04 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनकी निशांदेही पर मृतक का शव, घटना में प्रयुक्त एक फावडा व मृतक के जूते बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 23.03.2026 को थाना दोघट पर वादी श्री अरविन्द पुत्र स्व0 मोहन निवासी ग्राम दाहा थाना दोघट जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त 1.सचिन पुत्र नामालूम निवासी निरपुडा थाना दोघट जनपद बागपत व 5-6 अज्ञात के द्वारा उसके भाई संजय की हत्या कर दी है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना दोघट पर मु0अ0सं0 74/2026 धारा 103(1)/3(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

उक्त अभियोग की विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य व मृतक के शव की बरामदगी के आधार पर धारा 238(a) बीएनएस की बढौत्तरी की गयी तथा अभियुक्तों 1-आकाश पुत्र देवेन्द्र, 2-शुभम पुत्र सोहेन्द्र, 3-अजीत पुत्र यशपाल निवासीगण ग्राम निरपुडा थाना दोघट जनपद बागपत के नाम प्रकाश में आये।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 74/2026 धारा

103(1)/3(5)/238(a) बीएनएस से सम्बन्धित 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी निशांदेही पर मृतक का शव, घटना में प्रयुक्त एक फावडा व मृतक के जूते बरामद हुए हैं एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-सचिन पुत्र कृष्णपाल निवासी ग्राम निरपुडा थाना दोघट जनपद बागपत।
2-आकाश पुत्र देवेन्द्र निवासी ग्राम निरपुडा थाना दोघट जनपद बागपत।
3-शुभम पुत्र सोहेन्द्र निवासी ग्राम निरपुडा थाना दोघट जनपद बागपत।
4-अजीत पुत्र यशपाल निवासी ग्राम निरपुडा थाना दोघट जनपद बागपत।

बरामदगी

- मृतक का शव, घटना में प्रयुक्त एक फावडा व मृतक के जूते।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्त सचिन ने बताया कि उसने अपनी खेती-बाड़ी की देखभाल के लिए मृतक संजय पुत्र मोहन निवासी ग्राम दाहा थाना दोघट जनपद बागपत को लगभग डेढ़ माह पहले घरेलू नौकर के रूप में रखा था। दिनांक 04.03.2026 को ट्यूबवेल पर हवन के बाद सचिन, शुभम व संजय ने शराब पी। बाद में सचिन गांव चला गया।

दोपहर लगभग 03:00 बजे जब सचिन दोबारा ट्यूबवेल पर पहुंचा तो उसका भैंसा नहीं मिला। संदेह होने पर उसने अपने साथियों आकाश, अजीत व शुभम के साथ मिलकर संजय से पूछताछ करते हुए मारपीट की, जिससे उसकी मृत्यु हो गई।

इसके बाद चारों ने मिलकर संजय के शव को खेत में गड्ढा खोदकर दबा दिया तथा फावड़ा व अन्य सामान पास के खेतों में फेंक दिया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-थानाध्यक्ष श्री केवल सिंह थाना दोघट जनपद बागपत।
2-उ0नि0 श्री रजत कुमार थाना दोघट जनपद बागपत।
3-उ0नि0 श्री सुरेश कुमार थाना दोघट जनपद बागपत।
4-म0उ0नि0 नीरज थाना दोघट जनपद बागपत।
5-म0उ0नि0 शिवानी थाना दोघट जनपद बागपत।
6-है0का0 289 शैलेन्द्र सिंह थाना दोघट जनपद बागपत।
7-है0का0 808 गोविन्द थाना दोघट जनपद बागपत।
8-है0का0 36 हरविन्द्र थाना दोघट जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली दिनाँक 23.03.2026

थाना बिनौली पुलिस थाने के मु0अ0सं0 276/25 धारा 191(2)/191(3)/109(1)/117(2)352/351(3)/115(2)/103(1)/190 बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 08.09.2025 को थाना बिनौली पर वादी श्री जयवीर सिंह पुत्र श्री जोगेराम निवासी ग्राम जौहडी थाना बिनौली जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1. पप्पू पुत्र आसे, 2. आकाश, 3. गौरव पुत्रगण पप्पू, 4. राजीव, 5. अजय, 6. संजय पुत्रगण ओमकार, 7. सोनू, 8. अक्षय, 9. धर्मेन्द्र, 10. जितेन्द्र पुत्रगण रामचन्दर निवासी ग्राम जौहडी थाना बिनौली जनपद बागपत द्वारा लाठी -डण्डों व धारादार हथियार से लैस होकर एक राय होकर जान से मारने की नीयत से वादी व वादी के परिजनों के साथ गाली-गलौच करते हुए मारपीट की गयी व जान से मारने की धमकी दी तथा ट्रैक्टर से परिवाजनों को कुचल दिया, जिससे पैर व हाथों की हड्डी टूट गयी। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 276/25 धारा 191(2)/191(3)/109(1)/117(2)/352/351(3)/115(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

नोट- उपरोक्त अभियोग में साक्ष्य व विवेचना के आधार पर धारा 103(1)/190 की बढोत्तरी की गई है एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी पर 25000 हजार रूपये का इनाम घोषित किया गया है।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 276/25 धारा 191(2)/191(3)/109(1)/ 117(2)/352/351(3)/115(2) में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

सोनू पुत्र रामचन्द्र उर्फ पिण्डू निवासी ग्राम जौहडी थाना बिनौली जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- प्र0नि0 श्री राकेश कुमार शर्मा थाना बिनौली।
2- उ0नि0 श्री संजीव कुमार थाना बिनौली।
3- है0का0 481 गुरदीप कुमार थाना बिनौली।
4- है0का0 128 अमित शर्मा थाना बिनौली।
5- है0का0 525 दीपक भाटी थाना बिनौली।

प्रेस नोट

थाना बालैनी   दिनाँक 24.03.2026

थाना बालैनी पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 29/26 धारा 351(2) बीएनएस व 9M/10 पोक्सो एक्ट से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 29/26 धारा 351(2) बीएनएस व 9M/10 पोक्सो एक्ट से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अहसान उर्फ फुल्ली पुत्र इलियास निवासी ग्राम मवी कलां थाना बालैनी जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 रमेशचन्द थाना बालैनी।

2-उ0नि0 अनिल शर्मा थाना बालैनी।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत दिनाँक 24.03.2026

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 191/2026 धारा 87/137(2)/64(1)/115(2)/351 बीएनएस से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 191/2026 धारा 87/137(2)/64(1)/115(2)/351 बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

दीपक पुत्र ओमवीर सिंह उर्फ पप्पू निवासी ग्राम लोयन थाना बडौत जनपद बागपत

हाल पता कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री जगवीर सिंह थाना बडौत जनपद बागपत।

2-है0का0 358 बन्टी रावल थाना बडौत जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली दिनाँक 24.03.2026

थाना बिनौली पुलिस ने चैंकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद हुआ है।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 77/2026 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

लीलू पुत्र नफीस निवासी ग्राम बरनावा थाना बिनौली जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- 01 अवैध चाकू ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत।

2-है0का0 231 सतेन्द्र थाना बिनौली जनपद बागपत।

3-है0का0 354 नीलेश कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली दिनाँक 24.03.2026

थाना बिनौली पुलिस ने चैंकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा मय 01 जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा मय 01 जिंदा कारतूस .315 बोर के बरामद हुआ है।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 78/2026 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

महत्वपूर्ण सूचना- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई व्यक्ति अवैध अस्लाह का प्रयोग न करे तथा अवैध व लाईसेन्सी अस्लाह का प्रदर्शन न किया जाए। यदि ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरूद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

आमिर उर्फ जैदी पुत्र मोहिद खान निवासी ग्राम बरनावा थाना बिनौली जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- 01 अवैध तमंचा .315 बोर व 01 जिंदा कारतूस .315 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री नीलकान्त सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत।

2-का0 1115 राहुल कुमार तिवारी थाना बिनौली जनपद बागपत।

प्रेस नोट

थाना छपरौली **दिनाँक 24.03.2026**

थाना छपरौली पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वारण्टी अभि0गण का नाम व पता:-

मिन्टू पुत्र रमेश निवासी पट्टी धंधान कस्बा व थाना छपरौली जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1-उ0नि0 अमित कुमार गोला थाना छपरौली।

2-का0 597 प्रेमपाल थाना छपरौली।